86

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर (म०प्र०)

III/पुनर्विलोकन/रीवा/भू०रा/2017/3867

1- मुस• सुखरजुआ बिधवा धर्म पत्नी स्व• लक्ष्मण प्रसाद उम्री लगभग 78 बर्ष।

2- मिथिला प्रसाद तनय स्व• लक्ष्मण प्रसाद चतुर्वेदी उम्री लगभग 46बर्ष।

3- बिधाकान्त चतुर्वेदी आत्मज स्व• लक्ष्मण प्रसाद चतुर्वेदी उम्री लगभग 43 बर्ष -तीनो का पेसा कृषि एवं नि0ग्राम शुकुलगवां पो0आ0 रतनगंवा थाना व तहसील मउगंज, जिला रीवा (म0प्र0) -------आवेदकगण

बनाम

1- श्री गया प्रसाद चतुर्वेदी आत्मज स्व• रामकुमार चतुर्वेदी उम्री लगभग51 बर्ष।

2- श्री राजधर तनय श्री राममनोहर ब्रा0 उम्री लगभग 55 बर्ष।

3- श्रीमती कलावती धर्म पत्नी श्री राजधर ब्रा0 उम्री लगभग 53 बर्ष तीनो का पेसा कृषि एवं निवासीग्राम शुकुलगवां पो0आ0 रतनगवां थाना व तहसील मउगंज, जिला रीवा (म0प्र0)

4- शासनम0प्र0 ------------------ अनावेदकगण

पुर्नबिलोकन आवेदन पत्र अर्न्तगत धारा 51 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता सन् 1959 ई0।

पुर्नबिलोकन बिरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर द्वारा प्र0क्र0/आर•5116-दो /017 में पारित आदेश दि0-25•05•017 (पच्चीस मई सन् दो हजार सत्रह)

महानुभाव,

अन्य के अतिरिक्त, जो बक्त तर्क पेश किए जावेगें, पुर्नबिलोकन आवेदन पत्र के आधार निम्नींकित है :--

1- यह कि माननीय बिद्वान न्यायालय द्वारा प्र0क्र0/आर-5116-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक तीन–पुनरावलोकन/रीवा/भू.रा./2017/3867

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6/4/18	राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 5116–दो/2017 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25–5–2017 पर से प्रस्तुत पुनरावलोकन आवेदन की ग्राह्यता पर आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने जा चुके हैं। 2/ आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर के आदेश दिनांक 25–5–17 के विरूद्व पुनरावलोकन आवेदन 12–10–2017 को प्रस्तुत किया गया है, जबकि आदेश दिनांक 25–5–17 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्ति हेतु आवेदकगण ने दिनांक 4–9–17 को आवेदन दिया है एंव दिनांक 11–9–17 को आवेदकगण को आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हो गई है। म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में म0प्र0 सॅशोधन अधिनियम कमांक 42 सन् 2011 से किये गये सॅशोधन अनुसार पुनरावलोकन आवेदन प्रस्तुत करने के लिये 60 दिवस की समय–सीमा निर्धारित है । परिसीमा अधिनियम की धारा–5 के आवेदन में आवेदकगण ने बताया है कि दिनांक 25–4–17 को ग्राह्यता के बिन्दु पर बहस श्रवण करके प्रकरण आदेश हेतु सुनक्षित कर लिया गया और दिनांक 25–5–17 को आदेश पारित कर दिया। दिनांक 4–9–17 को आवेदक कमांक–3 ने ग्वालियर में अधिवक्तागण से जानकारी हासिल कर 4–9–17 को नकल का आवेदन पेश किया, उसके उपरांत पुनरावलोकन आवेदन दिया है । विचार योग्य है कि जब दिनांक 11–9–2017 को आदेश की	

प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हो गई, तब पुनरावलोकन प्रस्तुत करने के दिनांक 12–10–2017 अर्थात एक माह का समय कहॉ व्यतीत हुआ, दिन–प्रतिदिन का हिसाव नहीं दिया गया है।

1. स्टेट आफ एम0पी0 विरूद्व सवजीराम 1995 (2) म0प्र0वी0नो0 193 का न्याय दृष्टांत है कि परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा–5 – अनुचित विलम्ब को क्षमा करके एक पक्षकार को लाभ देते हुये द्वित्तीय पक्षकार को प्रोद्भूत मूल्यवान अधिकार को विनष्ट नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार का न्याय दृष्टांत बीतारानी बनाम भगवतीवाई 2006 (2) म0प्र0ज0 लॉ0ज0 45 में है।
2. लंगरी बनाम छोटा 1992 रा0नि0 289 (JLJ 69) में बताया गया है कि परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5– कार्यवाही में अनुपस्थित व काउन्सेल से संपर्क का प्रयास नहीं किया जाना, मामले के प्रचलन के विषय में जांच का प्रयास नहीं किया जाना – विलम्ब के लिये माफी के संदर्भ में सदभाविक नहीं कहा जा सकता।

आदेश दिनांक 25–5–2017 के विरूद्व पुनरावलोकन आवेदन दिनांक 12–10–17 को प्रस्तुत किया गया है दिनांक 11–9–2017 को आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्ति के वाद दिनांक 12–10–2017 अर्थात एक माह के विलम्ब का भी दिन प्रतिदिन का हिसाव नहीं दिया गया है, जिसके कारण अनुचित माफ करना संभव न होने से पुनरावलोकन आवेदन इसी–स्तर पर अमान्य किया जाता है।

सदस्य